रजिस्टर्ड सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 9, 1974/ कार्तिक 18, 1896
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 9, 1974/KARTIKA 18, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 21st October, 1974

G.S.R. 1186.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Foreigners (Protected Areas) Order, 1958 namely :—

1. This Order may be called the Foreigners (Protected Areas) Fourth Amendment Order, 1974.

2. In the Foreigners (Protected Areas) Order, 1958,

(i) in paragraph 4, the words, figures and letter "or Schedule II-A, as the case may be," shall be omitted.

(ii) in Schedule I, for the paragraph relating to "Sikkim and Bhutan"—the following paragraph shall be substituted, namely :—

"Sikkim—The Inner Line follows the southern border of Sikkim".

(iii) Schedule II-A shall be omitted.

[No. 25022/25/73-F.I.]

R. A. S. MANI, Dy. Secy.

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्तूबर, 1974

सा०का०नि० 1187—दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप-समूह सिविल सेवा नियम, 1971 के नियम 22 के साथ पठित, इस सेवा के नियम 32 के अधीन, केन्द्रीय सरकार, दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप-समूह सिविल सेवा (परिवीक्षा, प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) विनियम, 1972 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

(1) ये विनियम दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप-समूह सिविल सेवा (परिवीक्षा, प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) संशोधन विनियम, 1974 कहलायेंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप-समूह सिविल सेवा (परिवीक्षा, प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा) विनियम, 1972 के विनियम 4 के उप-विनियम (4) में,

(क) मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियां हटा दी जायेंगी और मद (ii) और (iii) क्रमशः मद (i) और (ii) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दी जायेंगी।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली 16 अक्तूबर 1974

सा० का० नि० 1194.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी-III पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्—

(1) इन नियमों का आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती (छठा संशोधन) नियमावली 1974 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 आकाशवाणी (श्रेणी-III पद) भर्ती नियमावली, 1964 की अनुसूची में, "फील्ड रिपोर्टर' के पद से संबंधित क्रम संख्या 61 के सम्मुख कालम 5 तथा 8 के अन्तर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात्—

5	8
"100 प्रतिशत'	सीधी भर्ती के न होने पर प्रतिनियुक्ति पर ।

[संख्या 1/4/74-बी (ए)]

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi the 16th October 1974

G S R 1194 In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, namely —

1 (1) These rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment (Sixth Amendment) Rules 1974

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette

2 In the Schedule to the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, against serial No 61 relating to the post of 'Field Reporter' in columns 5 and 8, for the the entries the following entries shall respectively be substituted, namely —

5	8
100 per cent"	'Failing direct recruitment on deputation"

[F No 1/4/74-B(A)]

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1974

सा० का० नि० 1195.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति आकाशवाणी (श्रेणी-I पद) भर्ती नियमावली, 1963 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्—

1 (1) इन नियमों का आकाशवाणी (श्रेणी I पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1974 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 आकाशवाणी (श्रेणी-I पद) भर्ती नियमावली 1973 की अनुसूची में, उप विकास अधिकारी (प्रशासन) के पद से संबन्धित क्रम संख्या 4 तथा इससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्—

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7
4 उप विकास अधिकारी	एक	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-I राजपत्रित	900-50-1250 रु०	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ।	स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार के अधीन समान पदों पर काम करने वाले अधिकारियों में से । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार के अधीन समान पदों पर काम करने वाले या 700-1250 रुपये के वेतनमान के पदों पर न्यूनतम दो वर्ष की सेवा रखने वाले या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रैंक के पदों पर न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा रखने वाले अधिकारी, (सामान्यतया प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।	लागू नहीं होता	जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है ।

[संख्या एफ० 1/2/72-बी(ए)]

एम० एल० टन्डन, अवर सचिव